राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या–47 / 2017

(अपील संख्या–1665 / 2013)

डॉ. राजकुमार कलावटियां, **–अपीलार्थी**

बनाम

1. श्रीमती स्नेहलता पंवार, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमती माधुरी शांडिल्य, उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर।
3. श्री विनोद कुमार शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, 'अ' क्षेत्र जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.08.2017
आदेश की दिनांक : 26.07.2023

उपस्थित :–
प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. यह अवमानना याचिका अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की जाकर अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गए हैं कि नवीन वेतनमान 1998 जो कि 01.09.1996 से लागू हुआ। पूर्व में अपीलार्थी जैसे कर्मचारियों को वेतन श्रृंखला 6500–10500 में संशोधित वेतनमान दिया गया ततपश्चात उक्त वेतनमान में पुनः संशोधन करते हुए वेतनमान 8000–13500 वेतन श्रृंखला दी गई। उक्त वेतन श्रृंखला देते हुए विभाग द्वारा कर्मचारियों को पुनः विकल्प दिये जाने का मौका दिया गया जिसके अनुरूप कर्मचारियों ने अपने संशोधित विकल्प पत्र प्रस्तुत किये। प्रार्थी ने भी संशोधित विकल्प पत्र विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन संशोधित विकल्प पत्र के अनुसार अपीलार्थी को लाभ नहीं दिया गया जबकि अपीलार्थी ने संशोधित विकल्प पत्र प्रस्तुत कर जो पूर्व में उसकी वसूली निकाली गई थी वह भी अपीलार्थी ने जमा करवा दी। अपीलार्थी ने संशोधित विकल्प पत्र में 1.09.1998 से ही दोनों वेतनमान प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार विभाग द्वारा अपीलार्थी का वेतन स्थिरीकरण किया जाना था।

2. अपीलार्थी की ओर से इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1665/2013 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अधिकरण के द्वारा निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया थाः–

> ''उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1998 के अन्तर्गत उचित वेतन श्रृंखला में एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए वेतन का निर्धारण किया जावे और समस्त पारिणामिक लाभ एवं बकाया एरियर का भुगतान किया जावे। बकाया राशि पर अपील दायर करने की दिनांक 01.10.2013 से मय 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जावे। अपीलार्थी के प्रकरण में अतीव विलम्ब कारित करने के लिये रूपये 1,000 का व्यय (cost) आरोपित किया जाता है, जिसका भुगतान प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को करेगा। प्रत्यर्थी विभाग इस व्यय (cost) की राशि को सम्बन्धित दोषी कार्मिक से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। उपर्युक्त आदेश की पालना 2 माह में की जावे।''

3. अपीलार्थी ने आगे यह कथन किया है कि विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के निर्णय की दर्शाते हुए दिनांक 2–1–2017 को एक आदेश पारित किया और अपीलार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 की ग्रेड 6500–10500 में 01.09.1998 से 8700/– पर वेतन स्थिरीकरण किया गया और पुनःसंशोधित वेतन नियतन ग्रेड 8000–13500 में 1–9–1998 को 8825/– पर वेतन नियतन किया गया। अपीलार्थी का वेतन निर्धारण करते समय अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के आदेशानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार दिया जाना था। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी को 6500–10500 वेतन श्रृंखला में वेतन स्थिरीकरण किया गया था वह 8519 /– रूपये पर फिक्स होने के कारण अगली स्टेज 8700/– रूपये पर फिक्स किया जाना था क्योंकि नवीन वेतनमान में 8519/– रूपये की जो वेतन स्थिरीकरण की स्थिति थी उसके अनुसार 8700/– रूपये पर वेतन स्थिरीकरण किया जाना था। अपीलार्थी 1–9–98 का पुनः वेतनमान 1998 में 6500–200–10500 में 8700/– पर वेतन स्थिरीकरण मानते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 200/– रूपये शामिल करते हुए 1–9–1988 को माननीय अधिकरण के आदेशानुसार 8900/– पर वेतन स्थिरीकरण किया जाना चाहिये था लेकिन विभाग द्वारा अपीलार्थी को 1–9–1988 को 8700/– पर वेतन स्थिरीकरण किया जाना माननीय अधिकरण के आदेश की पालना नहीं की है और उसी के अनुरूप वेतनमान 8000–13500 में अपीलार्थी का वेतन 1–9–98 को उसी अनुरूप

वेतन निर्धारण किया जाना चाहिये था इसलिए जो दिनांक 2–1–2017 का आदेश माननीय अधिकरण के आदेश की पालना में पारित किया जाकर निकाला गया है वह सही नहीं है। माननीय अधिकरण के आदेश की पालना में वेतन स्थिरीकरण होने का आदेश दिनांक 2–1–2017 दर्शाया है, जो कि सही नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को दिनांक 18–1–2017 जो दिनांक 20–1–2017 को प्राप्त हुआ और दिनांक 24–1–2017 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया लेकिन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की।

4. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अधिकरण के आदेश दिनांक 21.04.2016 की पालना करवाई जाये और पालना नहीं होने की स्थिति में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाये।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि माननीय अधिकरण के आदेश की पालना पूर्णतः कर दी गयी है, अपीलार्थी को विकल्प पत्र के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान 1998 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1998 के नियम 17 के तहत 1.9.1998 से स्वीकार करते हुये समस्त वेतन नियतनों के अनुसार अनुमोदित कराये जाकर 2017 तक की समस्त वेतन वृद्वियों एवं संशोधित स्वीकृत की जाकर उनका अंकन सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है। संशोधित समस्त वेतन नियतनों के अनुसार वेतन अंतर अवधि 1.9.1998 से 30.06.2013 तक का भुगतान बिल सं.238 दिनांक 25.09.2017 जिसकी कुल राशि रू. 153419/– व कटोती राशि 52617/– कुल देय राशि 100802/– उसके खाते में जमा करा दी गयी है। इसी प्रकार वेतन अंतर अवधि 1.7.2013 से 31.8.2017 तक का भुगतान कुल राशि 120170/– व कटौती राशि 37481/– कुल देय राशि 82689/– उसके बैंक खाते में दिनांक 5.10.2017 को जमा करवा दी गयी है। इसी प्रकार ब्याज राशि 1998 से 3.10.2017 तक गणना करते हुये देय ब्याज राशि 1.10.2013 से 3.10.2017 तक की कुल राशि 82729/– एंव कास्ट राशि 1000/– कुल राशि 83729/– उसके बैंक खाते में दिनांक 20.12.2017 को जमा करवा दिये जाने के उपरान्त माननीय अधिकरण के आदेश की पालना कर दी गयी है। इसलिये प्रत्यर्थीगण पर कार्यवाही के आदेश ड्रॉप फरमाये जावे।

6. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत कर

दिनांक 01.09.1998 से विकल्प पत्र के अनुसार तय निम्नानुसार समस्त परिलाभ दिया जाना तय किया है।

अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 21.04.2016 से पूर्व की स्थिति में विकल्प पत्र 01.09.1996/01.05.1998 के अनुसार देय परिलाभ	अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 21.04.2016 की पालना में विकल्प पत्र 01.09.1998 के अनुसार देय परिलाभ
वेतन श्रृंखला 6500–200–10500 01.09.1996 को वेतन नियतन 8100 वेतन वृद्धि दिनांक 01.09.1997 8300 01.09.1998 8500	वेतन श्रृंखला 6500–200–10500 01.09.1998 को वेतन नियतन 8700/–
वेतन श्रृंखला 8000–275–13500 देय दिनांक 01.05.1998 से 01.05.1998 को वेतन नियतन 8275+पीपी25/– पीजी होने से दो विशेष वेतन वृद्धि दिये जाने पर दिनांक 01.05.1998 को 8825/– वेतन वृद्धि दिनांक 01.09.1998 9100	वेतन श्रृंखला 8000–275–13500 देय दिनांक 01.05.1998 से 01.09.1998 को विकल्प अनुसार वेतन नियतन 8825/– पीजी होने से दो विशेष वेतन वृद्धि दिये जाने पर दिनांक 01.09.1998 को 9375/–

7. उपरोक्तानुसार यह प्रकट होता है कि दिनांक 01.09.1998 को पूर्व में अपीलार्थी का वेतन नियतन 8500/– किया था, जो अधिकरण के आदेश के पश्चात 8700/– किया गया। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी का वेतन नियतन ठीक प्रकार से किया जा चुका है, जो अधिकरण के आदेशानुसार है। यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी को बकाया राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। ऐसे में अधिकरण के आदेश की पालना होना प्रकट होता है। अतः प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अवमानना याचिका की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

8. पत्रावली फैशल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)